

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली/प्रशा. शहरों/अभियान/प.1(71)/२१९ दिनांक : ३१/११/१३


-:: कार्यालय आदेश ::-

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प3(25)नवि/3/2006 जयपुर दिनांक 23.11.2012 के द्वारा विगत वर्षों में ई.डब्ल्यू.एस., एल.आई.जी. एवं मध्यम आय वर्ग के मकानों पर मासिक किश्तों का भुगतान समय पर नहीं किये जाने के कारण ब्याज राशि एवं शास्ति में दिनांक 31.09.2012 तक छूट प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे।

राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि का निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 31 के तहत प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए उक्त छूट की अवधि आदेश जारी होने की तारीख से दिनांक 31.03.2013 तक बढ़ाये जाने की शासकीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	:	28.02.2013
मांग पत्र जारी करने की अंतिम तिथि	:	15.03.2013
मांग राशि जमा करने की अंतिम तिथि	:	31.03.2013

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का कार्यालय टिप्पणी पैरा 240/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।


(नीरज के.पवन)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख निजी सचिव- अध्यक्ष, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
5. सचिव, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक विधि, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय पी.एण्ड.एम./निजी सचिव-वित्तीय सलाहकार/तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त/जन सम्पर्क अधिकारी, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
8. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
9. उप आवासन आयुक्त वृत रा. आ. म.
10. आवासीय अभियन्ता, राज.आवा. म.
11. लेखाधिकारी(वसूली)/सम्पदा प्रबन्धक, राज. आवा. मण्डल, वृत
12. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।


वित्तीय सलाहकार